



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी.नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

Circular No. 23/2024-25

Dated: 26.03.2025

CIRCULAR

Sub: Online Submission of Quarterly Export Returns-reg.

As you are aware, as per the terms and conditions for grant of Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES), issued in accordance with the Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989 and subsequent Amendments, every Registered Exporter of spices should submit the Export/Purchase/Import Return in the prescribed format to Spices Board on quarterly basis on or before the 10th day of every succeeding quarter.

A 'Nil' return for corresponding quarter, should be submitted even though there is no Export/Purchase/Import.

Accordingly, all the Exporters are required to furnish all the pending Quarterly Export Returns for the year 2022-23, 2023-24 and 2024-25 on or before 25th April 2025. In this regard, the Quarterly Export Returns can be submitted online the link to submit the export/ purchase/ import return is

<https://indianspices.org.in/ESS/users/login/userhome>

The login and password is same as that of ESS (ie for filing sampling intimation. Also, you can reset your password).

If already submitted the Quarterly Export Returns through online, please ignore the mail.

Director (Mktg)

All Registered Exporters

Copy to : Regional offices for necessary action and follow up

(Issued from MKTG/STS/GEN/CIRCULAR/04/2021)



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र नं. 23/2023

दिनांक : 26.03.2025

परिपत्र

विषय: तिमाही निर्यात विवरणी की ऑनलाइन प्रस्तुति-बाबत

जैसा कि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 और बाद के संशोधनों के अनुसार जारी मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीआरईएस) प्रदान करने के नियमों और शर्तों के अनुसार, मसालों के प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक को प्रत्येक उत्तरवर्ती तिमाही के 10 वें दिन या उससे पहले तिमाही आधार पर स्पाइसेस बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में निर्यात/खरीद/आयात विवरणी प्रस्तुत करना चाहिए।

यदि इस अवधि के दौरान कोई इलायची का लेन-देन नहीं किया जाता है तो तदनुरूपी अवधि के लिए 'शून्य' विवरणी मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

तदनुसार, सभी निर्यातकों को 25 अप्रैल 2025 को या उससे पहले वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए सभी लंबित तिमाही निर्यात विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में, त्रैमासिक निर्यात विवरणी ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है, निर्यात / खरीद / आयात रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए लिंक है:

<https://indianspices.org.in/ESS/users/login/userhome>

लॉगिन और पासवर्ड ईएसएस के समान है (यानी नमूना सूचना दाखिल करने के लिए। इसके अलावा, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं)।

यदि पहले से ही ऑनलाइन के माध्यम से त्रैमासिक निर्यात रिटर्न जमा किया गया है, तो कृपया मेल को अनदेखा करें।

वशिष्ठ वाराहगुरु
निदेशक (विपणन)

सभी पंजीकृत निर्यातक

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रादेशिक कार्यालय
(विपणन/एस टी एस/सामान्य/परिपत्र/04/2021 से जारी)